(b), and (c) Of the 895 trucks remaining unreconciled up to December, 1993, 128 trucks have since been reconciled, leaving a balance of 767 trucks. The work of reconciliation is a regular and continuing process.

**Restrain in Announcing Higher Prices for Sugarcane by States**

1603. SHRI KAMAL MORARKA :

SHRI SURESH KALMAD1 :

Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(:>) whether it is a fact that the Central Government have asked state Government's to restrain from annaueing higher prices for sugar cane'

(b) if so, the reasons therefor

(c) whether the directive has-been adhered to by all the States; and

(d) it not. the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALAP' NATH RAO : (a) Yes, Sir.

(b) Unduly high and uneconomic prices of sugarcane adversely affect the liquidity of the sugar factories and result in accumulation of cane price arrears.

(c) and (d) At present various systems are being adopted by different State Governments in announcing State Advised Prices of Sugarcane. At the State Sugar Ministers' Conference held on 5th Februan, 1994, a Committee of 5 Ministers of Uttar P'radesh, Punjab, Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra was constituted to recommend a rational uniform pricing policy for sugarcane.

**भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की जांच**

1604. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में दिसंबर, 1993 तक कितना गेहूं और चावल उपलब्ध था;

(ख) क्या इन गोदामों की तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर कोई अस्तित्व जांच की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सब कुछ ठीक पाया जाता रहा है;

(घ) यदि ऐसी कोई जांच नहीं की जाती है, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने इसकी आवश्यकता महसूस की है; और

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम का कुछ गेहूं तथा चावल, जो ट्रकों द्वारा राज्यों को भेजा जाता है, लापता हुआ है यदि हां, तो कितना माल लापता हुआ है और यह कब से लापता होता रहा है; और यह बात सरकार की जानकारी में कब आयी है ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय)** : (क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 31-12-1993 की स्थिति के अनुसार गेहूं और चावल की निम्नलिखित मात्राएं उपलब्ध थीं :—

गेहूं . . 67.43 लाख मीटरी टन

चावल . . 111.73 लाख मीटरी टन

(ख) से (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किए गए स्थायी अनुदेशों के अनुसार, गोदामों की तिमाही और वार्षिक आधार पर वास्तविक जांच पड़ताल की जानी होती है। यदि कोई कमी पाई जाती है तो उस मामले में संबंधित प्राधिकारी उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिशेष राज्यों से उपभोक्ता राज्यों को खाद्यान्नों की ढुलाई सामान्तया रेल द्वारा की जाती है। तथापि, पहाड़ी राज्यों के मामले में सड़क मार्ग द्वारा खाद्यान्नों की ढुलाई की जाती है। जम्मू और कश्मीर के मामले में जम्मू से श्रीनगर घाटी में सड़क मार्ग द्वारा खाद्यान्न पहुंचाया

जाता है । इस राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या होने के कारण भारतीय खाद्य निगम के जम्मू में स्थित कार्यालय में स्टाक की प्राप्ति की यावती विलम्ब से प्राप्त हो रही है । वर्ष 1989-90 से दिसम्बर, 1993 तक की अवधि के दौरान 895 ट्रकों का पुनर्मिलान नहीं हो पाया था । इनमें से 128 ट्रकों का पुनर्मिलान हो चुका है और 116 ट्रकों का मामला स्थानीय पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरों को भेज दिया गया है क्योंकि इनके संदेहास्पद परिस्थितियों में गायब हो जाने का संदेह है । ट्रकों का पुनर्मिलान करना एक निरन्तर और नियमित प्रक्रिया है ।

**राज्यों को चीनी का आवंटन**

1605. **श्री जगन्नाथ सिंह** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को चीनी का प्रतिमाह कितना-कितना कोटा दिया जा रहा है और इस आवंटन का मानदंड क्या है;

(ख) क्या राज्य को चीनी का आवंटन उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है,

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 6,61,35,862 की जनसंख्या के आधार पर चीनी का आवंटन कब से किया जायेगा ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश ने चीनी के कोटे में वृद्धि की मांग की है; यदि हां, तो यह वृद्धि कब से की जायेगी; और

(ङ) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश को चीनी का कोटा वर्ष 1986 की जनसंख्या में मात्र 5.1 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर दिया जा रहा है, यदि हां, तो वर्ष 1986 और 1991 की अवधि के बीच बढ़ी जनसंख्या को चीनी वितरण की क्या व्यवस्था की गई है ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय)** : (क) और (ख) आर्थिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के तहत अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी की चीनी का आवंटन 1-10-1986 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के सभाव्य मानदंडों के आधार पर किया जा रहा है । ये मानदंड 1-2-1987 से लागू है । तदनुसार, पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए लेवी चीनी को लगभग 3.35 लाख टन मात्रा रिलीज की जा रही है । उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार प्रति वर्ष लगभग 1 लाख टन लेवी चीनी त्यौहार कोटे के रूप में रिलीज करती है जो सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को उनके मासिक लेवी आवंटन के समानुपात में आवंटित किया जाता है । सरकार ने अगस्त, 1991 से सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के मासिक लेवी चीनी आवंटन में 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की मंजूरी भी दे दी है जो अभी भी जारी है । उपर्युक्त के आधार पर मध्य प्रदेश को लेवी चीनी का आवंटन निम्नानुसार है :—

| | |
|---|---|
| (i) सामान्य मासिक कोटा | 25031 मी० टन |
| (ii) 5 प्रतिशत तदर्थ वृद्धि (अगस्त, 1991 से स्वीकृत) | 1252 मी० टन |
| (iii) प्रत्येक वर्ष के लिए त्यौहार कोटा | 7536 मी० टन |

राज्यवार सामान्य मासिक कोटा, मासिक कोटे में 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि और प्रतिवर्ष का त्यौहार कोटा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (नीचे देखिए) ।

(ग) इस समय देश में लेवी की चीनी की सीमित उपलब्धता के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1991 की जनगणना की जनसंख्या के अनुसार लेवी चीनी का आवंटन करने कर कोई प्रस्ताव नहीं है।